अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह 7 संभागों और 41 जिलों में विभाजित है।

अनुमानों के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 13.80 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2014 में 7.20 करोड़ से बढ़कर 2024 में 8.19 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत (2011-12 के लिए गरीबी अनुमान) की तुलना में वर्ष 2011-12 में 14.71 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, साक्षरता दर 66.10 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। राज्य के प्रमुख संकेतक ***परिशिष्ट 1.1*** एवं ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए हैं।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समयांतराल में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) में वार्षिक वृद्धि की प्रवृतियों और जीएसडीपी के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की वृद्धि दर को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी एवं जीडीपी में वृद्धि की प्रवृत्तियां (सांकेतिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	भारत					
1.	जीडीपी (आधार वर्ष 2011-12)	2,01,03,593	1,98,54,096$	2,35,97,399Σ	2,69,49,646£	2,95,35,667@
2.	जीवीए (वर्तमान मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2011-12)	1,83,81,117	1,82,10,997$	2,16,35,584Σ	2,46,59,041£	2,67,62,147@
3.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	(-) 1.24	18.85	14.21	9.60
4.	गत वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	(-) 0.93	18.81	13.97	8.53
5.	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
	राजस्थान					
6.	जीएसडीपी (आधार वर्ष 2011-12)	10,00,032	10,17,917	11,94,961Σ	13,57,851£	15,28,385#
7.	जीएसवीए (वर्तमान मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2011-12)	9,45,551	9,61,175	11,30,039	12,76,563	14,27,982

क्र.स.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
8.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
9.	गत वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.06	1.65	17.57	12.97	11.86
10.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	1,28,451	1,29,077	1,49,763	1,68,338	1,87,454

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार

Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, # अग्रिम अनुमान, $ संशोधित अनुमान-III, @ अनन्तिम अनुमान

वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.56 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹ 15,28,385 करोड़ थी। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर (9.60 प्रतिशत) से अधिक थी। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹ 1,87,454 थी जो प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹ 2,11,725 (2023-24) से कम थी। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (45.93 प्रतिशत) समान अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (41.23 प्रतिशत) से अधिक थी।

तालिका 1.1 से भी यह देखा जा सकता है कि 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए ₹ 14,27,982 करोड़ था और 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीवीए ₹ 2,67,62,147 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, जीएसवीए में 11.86 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई जो कि जीवीए की वृद्धि दर (8.53 प्रतिशत) से अधिक थी।

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और अर्थ-सहाय्य के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थाई पूंजीगत निर्माण या अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करने वाले निवेश व्यय को शामिल करते हुए अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृति को नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्ष 2019-20 से 2023-24)

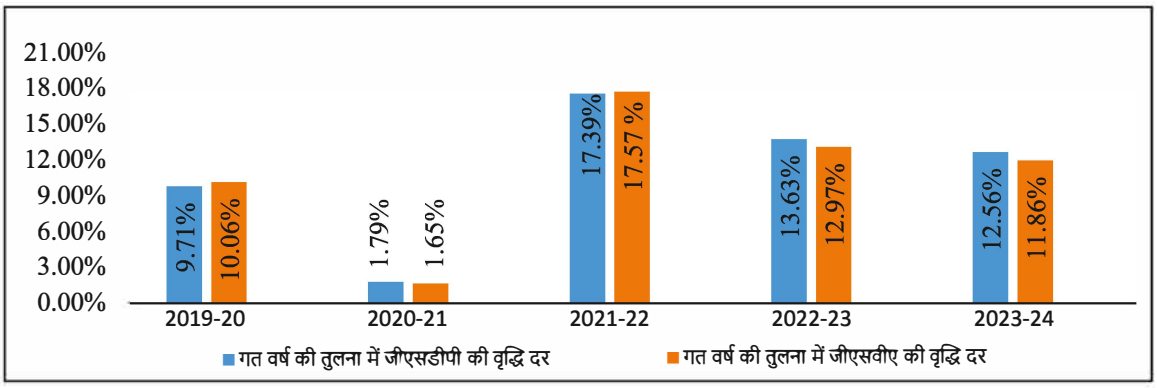

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसवीए के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। वर्ष 2019-20 से 2023 -24 की अवधि के दौरान जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि को नीचे **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2019-20 से 2023-24)

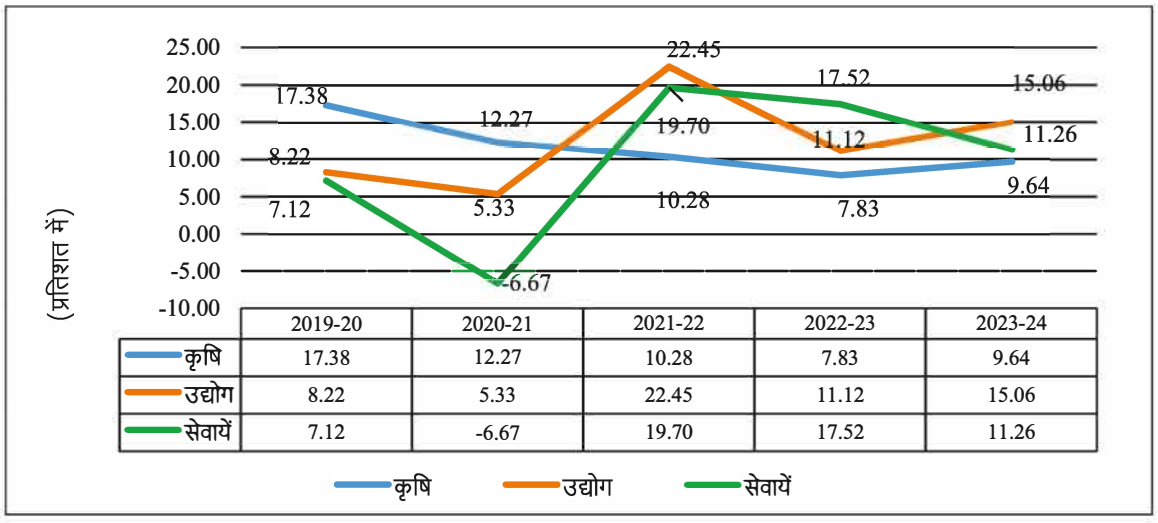

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कृषि	17.38	12.27	10.28	7.83	9.64
उद्योग	8.22	5.33	22.45	11.12	15.06
सेवायें	7.12	-6.67	19.70	17.52	11.26

स्रोत :आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि 2023-24 के दौरान कृषि और उद्योग क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई जबकि सेवा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रेषित वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;

- वर्ष के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ लेखांकन);
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौहदवें वित्त आयोग (XIV-एफसी), पन्द्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी), छठे राज्य वित्त आयोग (VI-एसएफसी), राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम) की सिफारिशों, श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है। सरकार से प्राप्त उत्तरों जहाँ प्राप्त हुए है उन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियां शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है और राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा गया है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों शीर्ष अस्थायी है और जिनमें अंतिम समायोजन लंबित है)

सम्मिलित हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

बजट दस्तावेज

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता (अनुच्छेद 202) है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य व्ययों से अलग करना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

• **लोक ऋण प्राप्तियाँ**: बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि; और

• **गैर-ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ आदि।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा-नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/ गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण मुख्य शीर्षों के 4-अंकीय अन्तर्निहित संख्यातर्क के प्रथम अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना

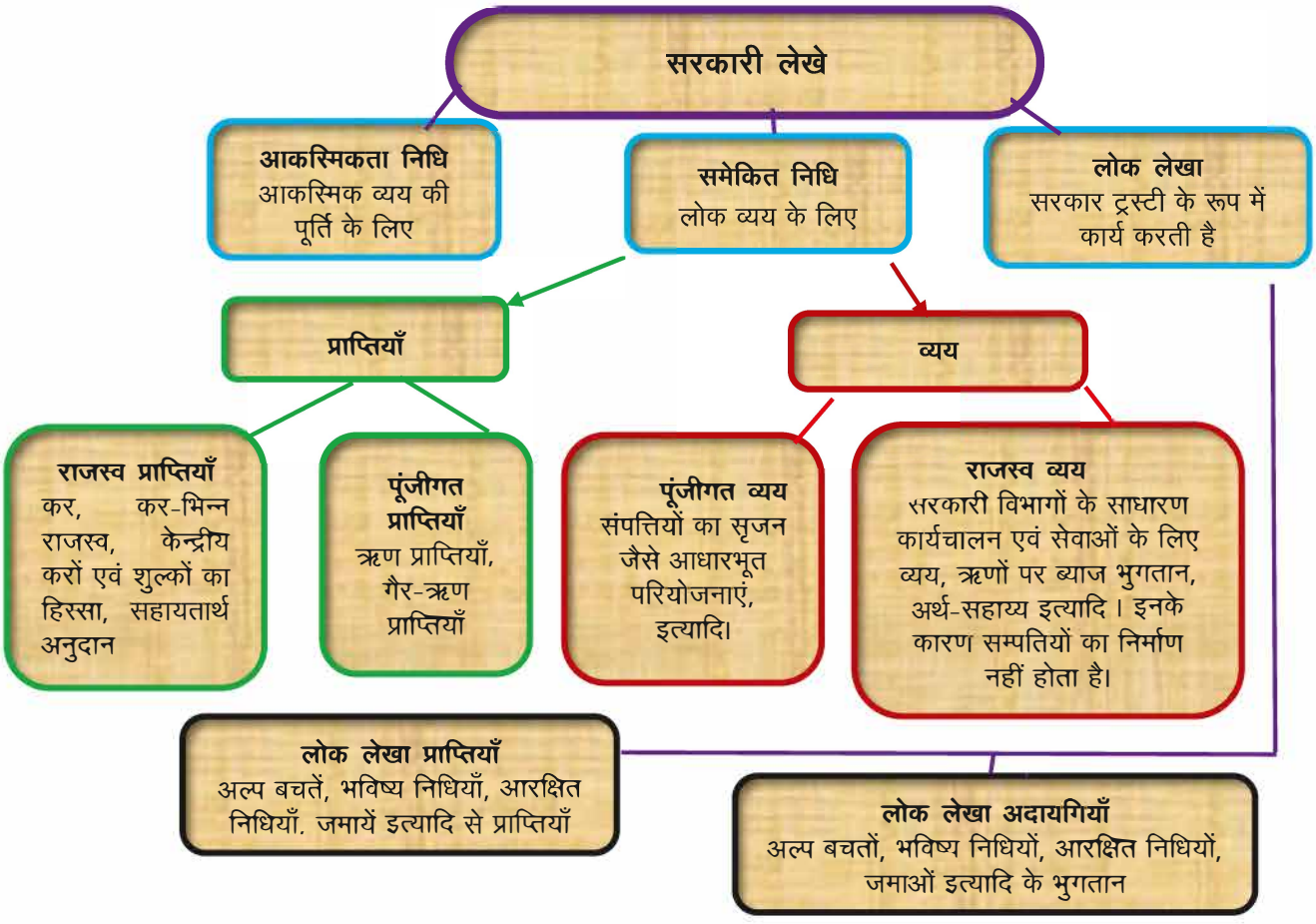

लोक ऋण और लोक दायित्व: इस रिपोर्ट में 'लोक ऋण' में बाजार ऋण, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004-लोक ऋण को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से सम्बंधित लेनदेन ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में कोषालयों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा वृतों के बीच हस्तांतरण लेनदेन जैसे समायोजन शीर्षों को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में 'मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेनों के साथ लोक दायित्व' में 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत लेनदेनों को सम्मिलित किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। अनुच्छेद 203 के अनुसरण में, अनुदान/विनियोग की मांगों के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक राशि का विनियोजन करने हेतु अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत करती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण तथा दो प्रकार के निष्पादन बजट दस्तावेज जैसे आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया है।

1.3.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों और जीएसडीपी के साथ वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.2: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	**कर राजस्व**	**1,44,577**	**1,75,721**	**1,62,149**	**92.28**	**10.61**
(i)	स्व-कर राजस्व	87,346	1,14,169	94,086	82.41	6.16
(ii)	संघीय करों /शुल्कों का हिस्सा (अ)	57,231	61,552	68,063	110.58	4.45
2	कर-भिन्न राजस्व	20,565	24,285	18,680	76.92	1.22
3	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	29,846	33,982	22,447	66.06	1.47
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,94,988**	**2,33,988**	**2,03,276**	**86.87**	**13.30**
5	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	420	311	405	130.23	0.03
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16	20	14	70.00	0.00
7	उधार और अन्य देयताएं (ब)	51,028	62,772	65,580	104.47	4.29
8	**पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**51,464**	**63,103**	**65,999**	**104.59**	**4.32**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**2,46,452**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.64**	**17.62**
10	**राजस्व व्यय जिसमें**	**2,26,479**	**2,58,884**	**2,42,231**	**93.57**	**15.85**
11	ब्याज भुगतान	30,602	32,394	34,128	105.35	2.23
12	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	267	-	551	-	0.04
13	**पूँजीगत व्यय जिसमें**	**19,973**	**38,207**	**27,044**	**70.78**	**1.77**
14	पूँजीगत परिव्यय	19,798	38,061	26,646	70.01	1.74
15	ऋण और अग्रिम	175	146	398	272.60	0.03
16	**कुल व्यय (10+13)**	**2,46,452**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.64**	**17.62**
17	**राजस्व घाटा (4-10)**	**31,491**	**24,896**	**38,955**	**156.47**	**2.55**
18	**राजकोषीय घाटा {16-(4+5+6)}**	**51,028**	**62,772**	**65,580**	**104.47**	**4.29**
19	**प्राथमिक घाटा (18-11)**	**20,426**	**30,378**	**31,452**	**103.54**	**2.06**

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत बढ़ीं, यद्यपि यह बजट अनुमान से 13.13 प्रतिशत कम रहीं। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय (₹ 2,42,231 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ हो गया।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। **तालिका 1.3** और ***परिशिष्ट 1.3*** गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2024 को ऐसी परिसम्पत्तियों और देयताओं का सारांश देती है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें					परिसम्पतियाँ				
		2022 -23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)			2022-23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि//कमी (-)
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	3,50,961.67	3,99,857.54	13.93	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,61,965.13	2,88,596.62	10.17
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37,422.20	46,794.09	25.04	ब	ऋण एवं अग्रिम	7,968.22	7,961.69	(-) 0.08
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		**1,000.00**	**1,000.00**	-			-	-	-
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	64,122.93	70,219.43	9.51	अ	अग्रिम	3.14	3.05	(-) 2.87
ब	जमायें	45,622.77	46,211.77	1.29	ब	प्रेषण	-	7.91	-
स	आरक्षित निधियां	15,058.62	18,446.21	22.50	स	उचंत एवं विविध	137.72	17.38	(-) 87.38
द	प्रेषण	0.54	-	-	**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**		**7,671.53**	**10,544.81**	**37.45**
					पूर्णांकन के आधार पर समायोजन प्रविष्टि		-	(-)0.01	-
					योग		**2,77,745.74**	**3,07,131.45**	**10.58**
					प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य		**2,36,442.99**	**2,75,397.59**	**16.48**
योग		**5,14,188.73**	**5,82,529.04**	**13.29**	**योग**		**5,14,188.73**	**5,82,529.04**	**13.29**

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियाँ 10.58 प्रतिशत बढ़ी जबकि देयताएँ 13.29 प्रतिशत बढ़ी।

1.4 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 'राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005' पारित किया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुयेः

(i) राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6 (अ) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2023-24 तक गत ग्यारह वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत पांचः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे के सन्दर्भ में बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) एवं वास्तविक आँकड़ों को नीचे सारांशीकृत किया गया हैः

तालिका 1.4: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	बजट अनुमान	(-) 27,015	(-) 12,346	(-) 23,750	(-)23,489	(-) 24,896
2..	संशोधित अनुमान	(-) 28,041	(-) 41,722	(-) 35,689	(-) 32,310	(-) 30,072
3.	वास्तविक	(-) 36,371	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491	(-) 38,955

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

टिप्पणीः वर्ष 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य को उदय[1] के प्रभाव सहित दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 24,896 करोड़) एंव संशोधित अनुमानों (₹ 30,072 करोड़) में किये गए आंकलन से बहुत अधिक था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व घाटा बजट अनुमान से ₹14,059 करोड़ एवं संशोधित अनुमानों से ₹ 8,883 करोड़ अधिक था क्योंकि वास्तविक राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान ₹ 2,33,988 करोड़ के समक्ष घटकर ₹ 2,03,276 करोड़ रह गई (इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से राजस्व के नुकसान के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 1,398 करोड़ शामिल हैं) अर्थात 13.13 प्रतिशत (₹ 30,712 करोड़) की गिरावट रही जबकि वास्तविक राजस्व व्यय बजट अनुमान ₹ 2,58,884 करोड़ के समक्ष अपेक्षाकृत कम गिरावट जैसे 6.43 प्रतिशत (₹16,653 करोड़) के साथ ₹ 2,42,231 करोड़ रहा।

(ii) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6 (ब) में, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा आगे इसे बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम[2] 2021 के अनुसार, राज्य वर्ष 2021-22 से

1. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

2. 25 सितंबर 2021 को धारा 6(एफ) जोड़ी गई।

2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए पात्र है, जिसे बिजली क्षेत्र में निश्चित निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमत किया गया है। हालाँकि, 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी प्रदान करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आंकड़े को संशोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन नही किया गया है।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2021-22	3.98	5.18	4.04
2.	2022-23	4.36	4.33	3.76
3.	2023-24	3.98	4.26	4.29

स्रोत: बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित आंकड़े (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) से अधिक था। इसके अलावा यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई कुल राजकोषीय विस्तार (जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) के भी पार हो गई। राजकोषीय घाटा ₹ 65,580 करोड़ (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) था जो बजट अनुमान (₹ 62,772 करोड़) और संशोधित अनुमान (₹ 65,082 करोड़) से अधिक था।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (स) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) और 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के भीतर कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत प्राप्त करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना था। वर्ष 2023-24 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 36.62 प्रतिशत[3] था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

तालिका 1.6: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491	(-)38,955
			×	×	×	×	×
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष(+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.83)	(-)48,238 (4.04)	(-)51,028 (3.76)	(-)65,580 (4.29)
			×	×	×	×	×
3.	कुल बकाया देयताओं[4] का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	34.00	38.20	38.20	38.20	38.20
		उपलब्धि	35.27	39.88	37.74	36.36	36.62
			×	×	√	√	√

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए: जीएसडीपी ₹ 15,28,385 करोड़ और लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ ₹ 5,59,767 करोड़ (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ को छोड़कर)।

4 कुल बकाया देयतायें ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान ₹4,604 करोड़ और 2021-22 से 2023-24 के दौरान ₹11,872 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण को हटाकर प्राप्त हुई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तथा राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय समग्रों के संबंध में उपलब्धियां नीचे में दी गई हैं:

तालिका 1.7: वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य राजकोषीय समग्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियाँ

राजकोषीय चर	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशत अन्तर	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(4-2=5)	(4-3=6)
राजस्व घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	1.2	(-) 1.63	(-) 2.55	(-)3.75	(-) 0.92
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 3.0	(-) 3.98	(-) 4.29	(-) 0.79	(-) 0.31
कुल बकाया देयतायें /जीएसडीपी (प्रतिशत)	39.6	36.78	36.62[$]	(-) 2.98	(-) 0.16

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, बजट एवं वित्त लेखे

टिप्पणीः घाटे के आंकड़ो को ऋणात्मक दर्शाया दर्शाया गया है।

$ जीएसटी क्षतिपूर्ति की के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर।

जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है कि सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी एंव राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात को पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2023-24 के लिए निर्धारित स्तर के भीतर रखने में असमर्थ रही। यधपि, बिजली क्षेत्र में निश्चित निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी अनुमत की गई, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात अभी भी लक्ष्य सीमा (3.5 प्रतिशत) से अधिक है।

राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के समक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023-24)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	1,14,169	94,086	(-) 17.59
2.	कर-भिन्न राजस्व	24,285	18,680	(-) 23.08
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	61,552	68,063	10.58
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	33,982	22,447	(-) 33.94
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,33,988	2,03,276	(-) 13.13
6.	पूंजीगत प्राप्तियाँ	331	419	26.59
7.	राजस्व व्यय	2,58,884	2,42,231	(-) 6.43
8.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-7)	(-) 24,896	(-) 38,955	56.47
9.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 62,772	(-) 65,580	4.47
10.	प्राथमिक घाटा	(-) 30,378	(-) 31,452	3.54
11.	ऋण (देयता) -जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	36.78	36.62	(-) 0.16
12.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.50	12.56	1.06

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि **तालिका 1.8** से देखा जा सकता है, वास्तविक राजस्व घाटा ,राजकोषीय घाटा एंव प्राथमिक घाटा एमटीएफपी के अनुमान से अधिक था। हालाँकि, वास्तविक देयता-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी के अनुमानों से कम था।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2019-24 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के मापदंडों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

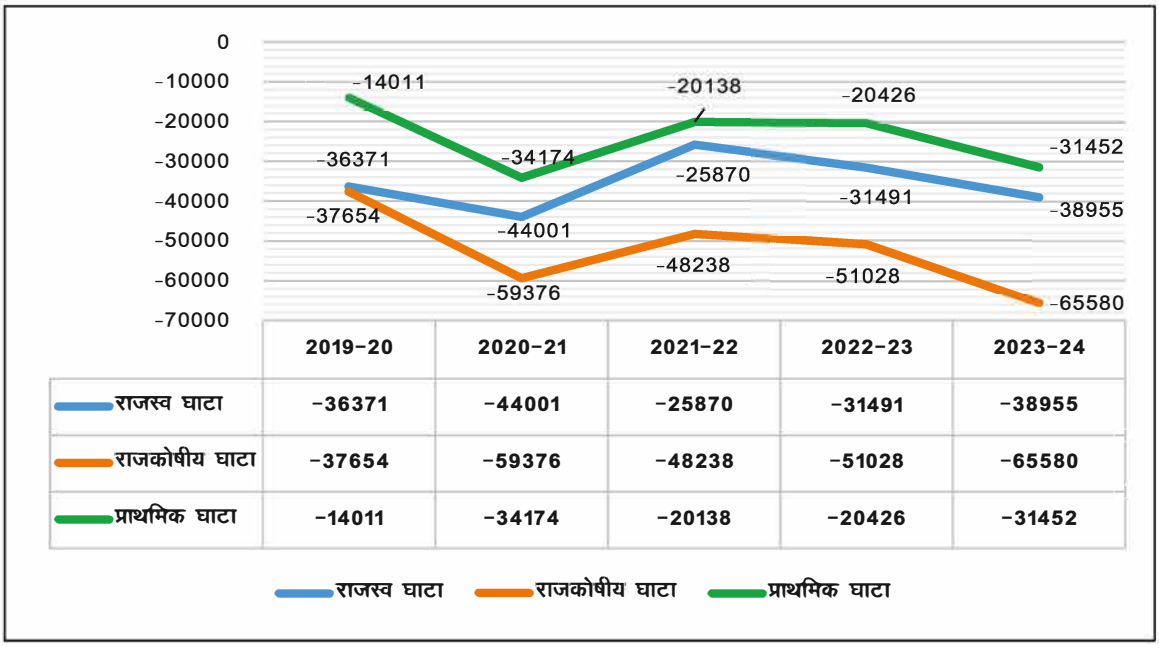

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा	-36371	-44001	-25870	-31491	-38955
राजकोषीय घाटा	-37654	-59376	-48238	-51028	-65580
प्राथमिक घाटा	-14011	-34174	-20138	-20426	-31452

राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे के संकेतकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

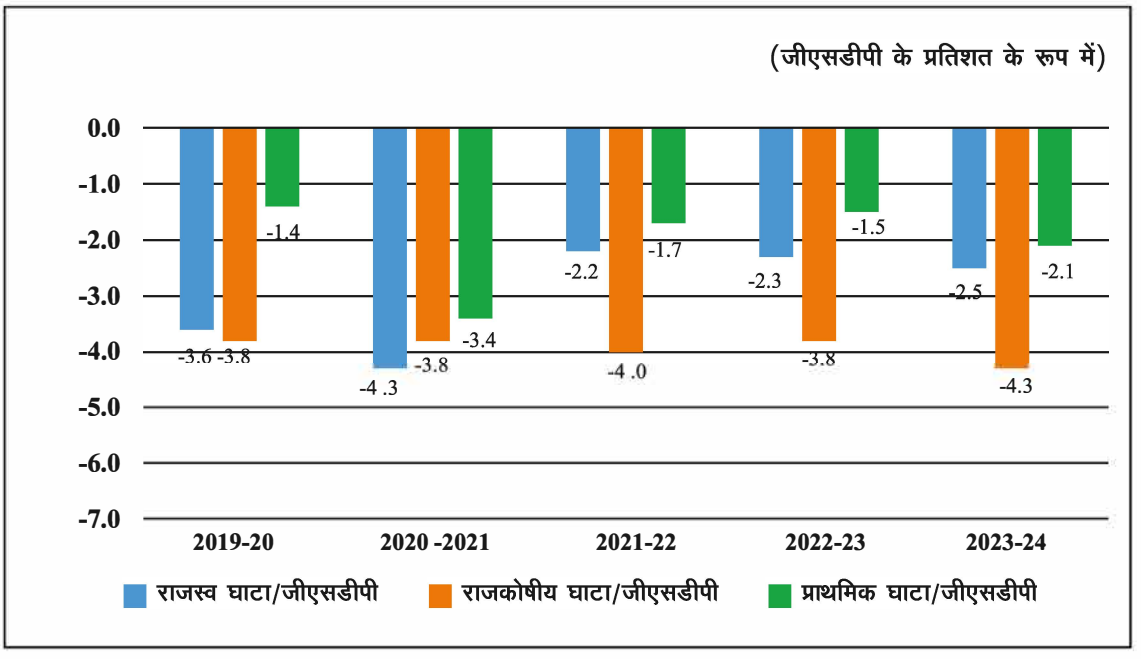

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

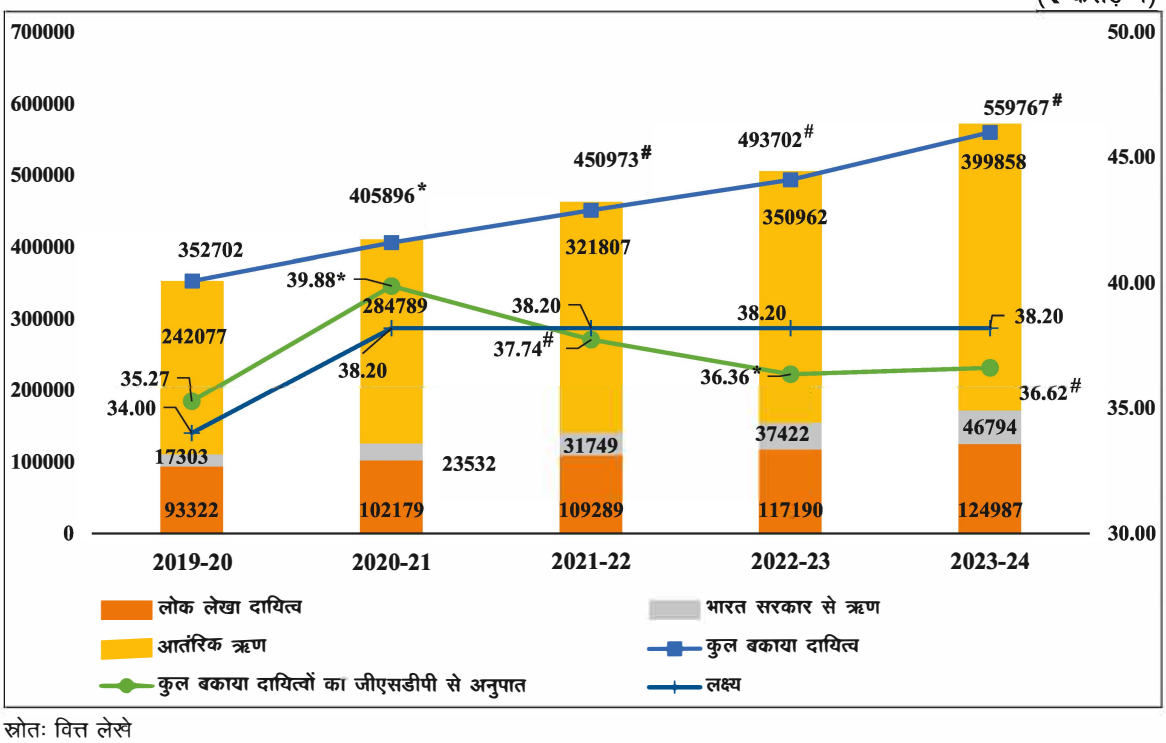

स्रोतः वित्त लेखे

* *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

\# *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

वर्ष 2023-24 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.93 प्रतिशत (₹ 48,896 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 6.65 प्रतिशत (₹ 7,797 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 25.04 प्रतिशत (₹ 9,372 करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देयताओं में गत वर्ष की तुलना में 13.38 प्रतिशत (₹ 66,065 करोड़) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2024 को ₹ 5,59,767 करोड[5] की राजकोषीय देयतायें हैं, जिनमें गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते थे, को जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 17,107 करोड़ की बकाया उधारी सम्मिलित थी।

1.4.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए उधार का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है।

5. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की सामान्य निवल उधार सीमा ₹ 47,974 करोड़ तय की (मार्च 2023) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिजन्य उधारें इस सीमा के भीतर बनी रहे।

आगे, केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय संभावना या उधार सीमा अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत[6] थी जो कि ₹ 55,970 करोड़ होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य को निर्धारित सामान्य सीमा के अतिरिक्त 50 वर्षों एवं अधिक ऋण के लिए ₹ 8,513.42 करोड़ (जीएसडीपी का 0.5570 प्रतिशत) के ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई। अतः वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए अनुमत राजकोषीय संभावना या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.06 प्रतिशत थी।

वित्त लेखे 2023-24 के लोक ऋण और अन्य देयताओं के विवरण (विवरण संख्या 6) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिजन्य उधार और अन्य देयतायें ₹ 66,065 करोड़ रही, जो कि ऊपरी उधार सीमा से जीएसडीपी का 0.23 प्रतिशत अधिक थी।

1.5 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण

लेखापरीक्षा जाँच में लेखों में गलत वर्गीकरण और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार देखे गये जिसने कुल घाटे और ऋण के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय संकेतकों जैसे कि ऋण और प्रत्याभूतियों पर घाटे की सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए संगणित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न कारणों जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजीगत के रूप में गलत वर्गीकृत करना और स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करने से प्रभावित होता हैं। इसके अलावा, उपकर का कम/अधिक हस्तांतरण आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करना आवश्यक है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटना आवश्यक है जैसा कि **तालिका 1.9** में बताया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
	आरक्षित जमा निधि में/अन्य हस्तांतरण				
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना (पैरा 4.1)		7.94		7.94

6. भारत सरकार द्वारा पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानित जीएसडीपी के आधार पर वर्ष 2023-24 की अनुमानित जीएसडीपी (₹ 15,99,142 करोड़) के 3.5 प्रतिशत की दर पर गणना की गयी है।

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
2.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गीकरण (पैरा 3.4.7)	-	4.60	-	-
3.	राज्य आपदा मोचन निधि में हस्तांतरण न होना (पैरा 2.5.2.1)	-	217.80	-	217.80
4.	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का हस्तांतरण न होना		59.45		59.45
5.	राष्ट्रीय पेंशन योजना में कम हस्तांतरण		0.63		0.63
	योग	**कम आँका गया 290.42**		**कम आँका गया 285.82**	
उपकर /अधिभार का आरक्षित निधि/जमा में हस्तांतरण					
6.	पेट्रोल एवं डीजल उपकर का अधिक हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	1,855.77	-	1,855.77	-
7.	अन्य उपकर और अधिभार[7] का कम हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	-	1,027.85	-	1,027.85
	योग (उपकार/अधिभार)	**(निवल) अधिक आँका गया 827.92**		**(निवल) अधिक आँका गया 827.92**	
	महायोग	**(निवल) अधिक आँका गया 537.50**		**(निवल) अधिक आँका गया 532.90**	

स्रोतः वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे एवं विश्लेषण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (i)) ₹ 537.50 करोड़ से अधिक और राजकोषीय घाटा ₹65,580 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (ii)) ₹ 532.90 करोड़ से अधिक आँका गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात – समग्र देयता

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि और लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं से हैं। बकाया ऋण/देयताओं को नीचे **तालिका 1.10** में दिए अनुसार विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जांच के बाद 31 मार्च 2024 को समग्र देयताओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	**आन्तरिक ऋण**	3,99,857.54
(i)	*ब्याज वाले बाजार ऋण*	3,58,826.82
(ii)	*बिना ब्याज वाले बाजार ऋण*	0.03
(iii)	*भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण*	5.65
(iv)	*केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां*	7,484.52
(v)	*अन्य संस्थाओं से ऋण*	33,540.52
2.	**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	46,794.09
(i)	*1984-85 से पूर्व के ऋण*	5.41

7. **कम हस्तांतरण:** (i) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुद्रांक शुल्क पर अधिभारः ₹ 174.80 करोड़; (ii) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत के लिए अधिभारः ₹ 596.42 करोड़; (iii) शहरी उपकरः ₹ 109.68 करोड़; (iv) जल संरक्षण उपकरः ₹ 10.36 करोड़; (v) गाय और उसकी संतति के संरक्षण और प्रसार के लिए अधिभारः ₹ 0.87 करोड़ एवं (vi) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकरः ₹ 135.72 करोड़।

क्र. सं.	विवरण	राशि
(ii)	*गैर-आयोजना ऋण*	7.49
(iii)	*राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	718.01
(iv)	*केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	3.05
(v)	*राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों की योजनाओ के लिए अन्य ऋण*	46,060.13
3.	**अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि**	70,219.43
4.	**आरक्षित निधियां**	8,555.66
5.	**जमाये**	46,211.78
अ.	**समग्र देयतायें (1 से 5)**	5,71,638.50
ब.	**समग्र देयताओं (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण:**	
(i)	राज्य सरकार की ओर से विभिन्न '*जिला परिषदों*' द्वारा बजट से इतर उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,040.73
(ii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा बजट से इतर उधार (एलआईसी)।	1.86
(iii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा बजट से इतर उधार (हुडको एवं बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र) ।	7,000.00
	कुल 'ब'	**8,042.59**
	कुल (अ + ब)	**5,79,681.09**

इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 8,042.59 करोड़ का बजट से इतर उधार का सहारा लिया।

राज्य के बजट से इतर उधार को सम्मिलित करते हुए मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया देयतायें ₹ 5,59,766.21[8] करोड़ के समक्ष ₹ 5,67,808.80 करोड़[8] हो जायेगी। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र देयताओं (36.62 प्रतिशत[8]) को 0.53 प्रतिशत से कम बताया गया।

8. ऋण प्राप्तियो के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 .29 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर ।